राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या 5334/2022

सुलोचना —अपीलार्थी

बनाम

1. प्रमुख शासन सचिव, वित्त (नियम) विभाग, शासन सचिवालय, राजस्थान, जयपुर।
2. पुलिस महानिदेशक, पुलिस मुख्यालय, राजस्थान पुलिस, जयपुर।
3. पुलिस अधीक्षक, सीकर।

—प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 14.12.2022
आदेश की दिनांक : 06.11.2023
अपीलार्थी की ओर से : श्री हीरालाल गोठवाल, अधिवक्ता

समक्ष :— चेतन राम देवड़ा, सदस्य
लेखराज तोसावडा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम—1976 की धारा—4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए यह तर्क दिया है कि यह कि अपीलार्थी की नियुक्ति कांस्टेबल के पद पर वर्ष 2007 में हुई थी (अनुलग्नक—1)। वेतन निर्धारण और इस तरह के विकल्प के प्रयोग को नियंत्रित करने वाले नियमों के निहितार्थ इस कारण से हैं कि समान स्थिति वाले कांस्टेबल को अपीलार्थी की तुलना में बहुत ऊंचे स्तर पर तय किया गया है, जो वेतन पर्चियों से स्पष्ट रूप से प्रकट होता है (अनुलग्नक—2)। पहला चयन ग्रेड उस दिन से दिया जाएगा जिस दिन से 09 साल की सेवा पूरी करेगा, बशर्ते कि कर्मचारी को पहले एक भी पदोन्नति न मिली हो जैसा कि उसके मौजूदा कैडर में उपलब्ध है। दूसरा चयन ग्रेड उस दिन के अगले दिन से दिया जाएगा जिस दिन कोई व्यक्ति 18 वर्ष की सेवा पूरी करता है, बशर्ते कि कर्मचारी को पहले दो पदोन्नति न मिली हो जैसा कि उसके मौजूदा कैडर में उपलब्ध हो सकता है और उसे दिया गया पहला चयन ग्रेड निम्नतर था। रुपये के वेतनमान से अधिक. 2200—4000. तीसरा चयन ग्रेड उस दिन के अगले दिन से दिया जाएगा जिस दिन कोई 27 वर्ष की सेवा पूरी करता है, बशर्ते कि कर्मचारी को उसके मौजूदा कैडर में उपलब्ध तीन पदोन्नति पहले न मिली हो और पहला या दूसरा चयन ग्रेड दिया गया हो। अपीलार्थी को अधिसूचना के एक महीने के भीतर संशोधित वेतनमान द्वारा

शासित होने या पूर्वोक्त नियमों में उल्लिखित तारीखों में से एक से मौजूदा वेतनमान द्वारा शासित होने का विकल्प देने की आवश्यकता थी। उन्होंने दिनांक 01.09.2016 से संशोधित वेतनमान द्वारा शासित होने का विकल्प दिया, जबकि वह इसे पूरा होने पर चयन वेतनमान प्रदान करने की तारीख तक स्थगित कर सकती थीं। 9 वर्ष की सेवा और 18 वर्ष की सेवा पूरी होने की तिथि से संशोधित वेतनमान शासित किया जाए ताकि उसे निर्धारित उच्च वेतनमान का लाभ मिल सके। उस तिथि से संशोधित वेतनमान में. लेकिन उसने तारीख का उल्लेख किए बिना अपना विकल्प जमा कर दिया है, जबकि समान स्थिति वाले कांस्टेबल ने अपना विकल्प फॉर्म दिनांक 13.09.2016 को जमा कर दिया है और उसने उच्च वेतन तय किया है (अनुलग्नक–3)। माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 3926/2013 कुलदीप सिंह व अन्य राज्य सरकार में पारित आदेश दिनांक 26.04.2013 (अनुलग्नक–4) द्वारा निर्णय लिया गया। अपीलार्थी ने एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 12720/2022 सुलोचना बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य. राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर के समक्ष, जिसे माननीय न्यायाधिकरण के समक्ष नए सिरे से दायर करने की स्वतंत्रता के साथ आदेश दिनांक 07.09.2022 (अनुलग्नक–5) द्वारा वापस ले लिया गया था। अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित किया जावे कि अपीलार्थी को 9 वर्ष पूर्ण होने के दिन से पुनः विकल्प का उपयोग करने की अनुमति प्रदान करें। सेवा के वर्षों को नियुक्ति की प्रारंभिक तिथि या वैकल्पिक से गिना जाता है।

बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा यह अनुरोध किया गया कि अपीलार्थी अपील में अंकित तथ्यों के आधार पर प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम अधिकारी के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करना चाहता है अतः अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान किए जावे। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत कर अपनी परिवेदना प्रस्तुत कर सके।

अतः प्रस्तुत अपील के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए तथा अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता के स्वयं के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी आगामी दो सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के नियमों/ दिशा–निर्देशों/ परिपत्रों के परिप्रेक्ष्य में आगामी दो सप्ताह की अवधि में गुणावगुण के आधार पर नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को

दे। यहाँ यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त निर्देश अभ्यावेदन को विशिष्ट रूप से निस्तारित करने के लिए नहीं दिए जा रहे है वरन् मात्र इस आशय से दिए जा रहे है कि अपीलार्थी के अभ्यावेदन का उक्त निर्देशित अवधि में नियमानुसार निस्तारण किया जावे।

अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(लेखराज तोसावडा)
सदस्य

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य